न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

पील संख्या:–35/2020 (223 आर.टी.एक्ट)
ी.सी.एम.एस .संख्या:–2020/00052

उनवान

1. श्रीमति रामोती मीना पत्नि अम्बालाल जाति मीना उम्र 53 साल पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम बिच्छीदोना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांट।

बनाम

1. बदरीलाल पुत्र लट्टू उर्फ लखमा जाति मीना उम्र 75 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम बिच्छीदोना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
2. बदरीलाल पुत्र लखमा जाति मीना उम्र 70 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम बिच्छीदोना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
3. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज0।

....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 01, 02।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 03।

--::निर्णय::--

दिनांक: 09.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/15 बउनवान बदरीलाल बनाम बदरीलाल में पारित निर्णय दिनांक 19.03.20 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात [illegible] पर प्रतिवादी संख्या 01 कब्जा काश्त में व्यवधान उत्पन्न कर [illegible] मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी सं0 01 को अस्थाई [illegible] दिनांक 19.03.20 को मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी [illegible] समक्ष वादी बदरीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:47 IST
Reason: SelfAttested

व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

[illegible] ने स्वयं ही शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। उसी दिनांक को श्रीमति रामोती पत्नि अम्बालाल मीना ने प्रार्थना पत्र 01–रूल–10 पेश कर वादी बनने का निवेदन मातहत अदालत के समक्ष किया जो मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नोट प्रेस में कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर वादी श्रीमति रामोती द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात को रेस्पो सं0 02 द्वारा अपीलांट को इकरारनामा बेचान दिनांक 22/06/05 को पचास रू0 के स्टाम्प पर लिख कर देते हुवे अपीलांट को यह भूमि स्वयं के कब्जे काश्त की बताते हुए 96000/–रू0 में विक्रय करने करार किया था। 2005 से लेकर लगातार आज तक अपीलांट विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त चली आ रही है। मातहत अदालत के समक्ष वाद रेस्पो0 सं0 01 व रेस्पो सं0 02 के [illegible] इस बाबत् था कि विवादित आराजीयात का इन्द्राज गलत तरीके से रेस्पो सं0 01 की जगह रेस्पो सं0 02 के नाम पर कर दिया गया, जिसे दुरूस्त कराने का निवेदन किया गया। वाद में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। अपीलांट को ज्ञात होने पर मातहत अदालत के समक्ष पक्षकार बनाने बाबत् प्रार्थना पत्र 01–रूल–10 पेश किया। इस प्रार्थना पत्र को मातहत अदालत द्वारा खारिज फरमाया दिया गया। रेस्पो सं0 01 व रेस्पों स0 02 वाद [illegible] पश्चात् एक होकर अपीलांट के विरूद्व विवादित आराजीयात से बेदखली के लिए षड़यन्त्र करने लगे। चुंकि अपीलांट को रेस्पों सं0 01 व 02 मिलकर विवादित आराजीयात से बेदखल करने को आमदा है। जबकि रेस्पों सं0 02 अपीलांट से दिनांक 22.06.05 को ही विकय कर चुका है। अतः सभी पक्षो को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.03.20 निरस्त फरमाया जावें। अपील मीमो के साथ ही धारा 96 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों सं0 02 द्वारा अपीलांट से यह तथ्य छुपाते हुए कि "विवादित आराजीयात को लेकर रेस्पों सं0 01 व 02 में [illegible] आ रहा है।" लिखित इकरारनामे से अपीलांट को बेचान कर दिया। [illegible] उसी समय अपीलांट से प्राप्त कर ली। [illegible] सं0 01 मिलकर

सहायक अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बदयान्ती से अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है। जो कि गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.03.20 अपास्त किया जावे। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील के समर्थन में दृष्टांत **आर.बी.जे 1996 पेज 102, आर.बी.जे. 2016 पेज 712, आर.बी.जे. 2021 पेज 529, आर.बी.जे. 2016 पेज 115, आर.आर.डी. 1994 पेज 592 तथा आर.आर.डी 1994 पेज 279** पेश किया गया।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट का विवादित आराजीयात से कोई संबंध नही है। यह अपील मात्र रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 को परेशान करने के लिए निराधार ही पेश की गई है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा पारित निर्णय वादी/रेस्पो सं01 व प्रतिवादी सं0 02 की आपसी सहमति व वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा आगे नही चलाने का निवेदन किए जाने पर किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
7. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
8. न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 14.07.20 व दिनांक 30.12.20 की आदेशिका से निष्कर्ष निकलता है कि अपीलांट की प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार की गई है।
9. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अपील मीमों का मुख्य आधार एवं अनुतोष **इकरारनामा** है, जिसका अंकन अपील मीमों के पैरा सं0 06 में है। इकरारनामा की पालना न्यायालय से करवाने के लिए वाद सक्षम न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर के समक्ष पेश किए हुए है।

अदालत मातहत द्वारा मुकदमा सं0 26/18 दिनांक 19.03.20 को रेस्पो/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर "नोट प्रेस" में खारिज कर दिया गया और अपीलांट को भी विधिक रूप से निर्देशित किया हुआ है। जब प्रार्थी द्वारा ही प्रार्थना पत्र नहीं चलाने का शपथ पत्र पेश कर दिया गया तो अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जा0 दि0 01–रूल–10 स्वतः ही खारिजहै। इस पर पृथक से आदेश जारी किए जाने का कोई विधिक प्रावधान नही है। साथ ही प्रार्थी/वादी को वाद चलाने के लिए बाध्य नही किया जा सकता है।

विक्रय इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता नहीं है और स्वयं अपीलांट द्वारा भी अपील मीमों के कथन सं0 06 पर इसका अंकन किया गया है। यदि अपीलांट वादपत्र चलाना चाहते हैं तो अदालत द्वारा इस संबंध में आदेश दिनांक 19.03.20 में सक्षम आदेश है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत चस्पा नहीं होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:47 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

10. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर का निर्णय दिनांक 19.03.20 को यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 09.01.2023 को सुनाया गया।

09.01.23

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner